(ख) आज तक कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नामाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 1993-94 से 1996-97 के वर्षों के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री. अली अशरफ फातमी के लिए 305 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 168.68 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं एवं 313 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं ।

शहरी क्षेत्रों में निर्धन तथा धनी लोगों का मूल्यांकन

2606. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा अत्यधिक धनी लोगों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों वर्गों के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) शेष वर्गों की वार्षिक आय का प्रक्षेपित आंकलन क्या है ; और

(घ) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1993-94 में प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति के 281.35 रुपये के उपभोग व्यय के वर्ग में, 32.36 प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी । अत्यधिक धनी लोगों की कोई मानक परिभाषा नहीं है । हालांकि 1993-94 के उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 4.9 प्रतिशत लोगों को, 1055 रुपये से अधिक प्रतिमाह के प्रतिमाह प्रति-व्यक्ति व्यय के उच्च व्यय कोष्ठक में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) 1993-94 में, शहरी क्षेत्रों में गरीबी की संख्या के 76.34 मिलियन होने का अनुमान है । शहरी क्षेत्रों में ही, 1055 रुपये से अधिक के प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय करने वाले लोगों की संख्या 11.56 मिलियन है ।

(ग) और (घ) आय पर जानकारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में, शेष 62.74 प्रतिशत जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोग 492 रुपये प्रतिमाह था ।

विकास हेतु पहचाने गए प्राथमिकता क्षेत्र

2607. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के प्रयोजनार्थ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है ;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं, और

(ग) इन प्राथमिक क्षेत्रों को किस क्रम में अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) जी, हां । पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी है । मुख्यतः पेयजल बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा आवास और सर्वव्यापी सम्पर्क को बुनियादी न्यूनतम सेवाएं जो कोई योजना होने ध्यान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ।

(ग) संसाधन मैत्री-स्तर पर आर्थिक क्षेत्रकों में आवंटित किए जाते हैं । किसी क्षेत्रक के भीतर कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के लिए निधियों के आवंटन के निर्धारण हेतु कोई मानक मापदंड नहीं है । बहरहाल, नौवीं योजना के एप्रोच पेपर में कार्यक्रमों और स्कीमों और परियोजनाओं के चयन के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का प्रस्ताव किया गया है :—

(1) वे स्कीमें जो दूसरी जनसंख्या के तुलना में गरीबी को अधिक लाभ पहुंचाने वाली है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(2) वे स्कीमें जो महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों को पूर्ण जनसंख्या की अपेक्षा लाभ पहुंचाती हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(3) वे स्कीमें जो पिछड़े क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंचाने वाली हैं, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(4) वे स्कीमें जो गैर-विस्थापनकारी शक्तियां प्रदान करने वाली और श्रम गहन है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(5) वे स्कीमें जो दीर्घकालीन मतन लाभ देती हैं, को उन स्कीमों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो परिवर्ती प्रकृति का थोड़ा सा अधिक लाभ पहुंचाती है ।

(6) वे स्कीमें जो उत्पादक परिसम्पत्तियों (वैचारिक परिसम्पत्तियां और पूर्ण आर्थिक परिसम्पत्तियां) के निर्माण में मदद करती है, को उन स्कीमों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो केवल आय बढ़ाने अथवा कल्याण में मदद करती है ।

(7) सेवानमुखी स्कीमें (बनियादी न्यूनतम सेवाओं की श्रेणी में आने वाली को छोड़कर) जिनके लिए उच्च स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपेक्षित है, को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ऐसी सेवाओं के वाणिज्यिक प्रचालन को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(8) वे स्कीमें जो क्रमबद्ध सुधारों, विधायी ढांचे में परिवर्तन, संस्थानात्मक विकास, भागीदारी एप्रोच के संवर्धन और स्वशासन की पद्धति से उत्साहजनक वातावरण की अपेक्षा रखती है, को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

देश में विद्युत उत्पादन क्षमता

2608. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विद्युत उत्पादन की कुल क्षिमता कितनी है तथा इसकी आवश्यकता कितनी है ;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल कितनी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना-वधि के अंत तक देश की विद्युत आवश्यकता को पूरा कर दिया जाएगा ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य में कितना विदेशी निवेश होने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहेरेश्वर सबनूर) : (क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता (सेवा प्रदायक सुविधा में) 84912.4 मे. वा. थी । वर्ष 1996-97 के दौरान 365.90 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो 413.49 बिलियन यूनिट की कुल ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में है ।

(ख) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत के संवर्धित कार्यक्रम में 1997-2002 के दौरान 57734 मे.